


## कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर संशोधन आदेश

इस कार्यालय के समसख्यक आदेश के द्वारा आरपीएससी द्वारा चयनित व्याख्याता (स्कूल शिक्षा) इतिहास/वाणिज्य के 02 वर्ष की परीक्षाधीन अवधि समाप्त होने पर स्थायीकरण/आदेश जारी किये गये थे। उक्त आदेशों में निम्नांकित कार्मिकों के उनके नाम के सामने अंकित कॉलम संख्या 05 में अंकितानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है:-


क्रम	नाम व पदस्थापन	विषय	आदेश क्रमांक	संशोधन
01	मनोज कुमार दर्ईया राआउमावि रावतसर- हनुमानगढ	इतिहास	क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-2 / प्रो.टे./इति.-वाणि./नियमति करण-स्थायीकरण/ 2017	वर्तमान पदस्थापन स्थान राउमावि छानीबडी के स्थान पर राआउमावि रावतसर- हनुमानगढ संशोधित

शेष शर्तें मूल आदेशानुसार यथावत पढ़ी जावें।

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर

क्रमांक-शिविरा-मा/संस्था/सी-2/प्रो.टे./इति.-वाणि./स्थायी-संशोधन/2017 दिनांक:- 16.02.2018  
प्रतिलिपि:-प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

- 1 सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
- 2 उप शासन सचिव, प्रथम शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग
- 3 सम्बन्धित उप निदेशक-माध्यमिक शिक्षा,
- 4 सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा, I/II
- 5 सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्युटर अनुभाग को विभागीय वेबसाईट पर अद्यतन करने हेतु।
- 6 संबन्धित शाला/संस्था प्रधान को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार शाला दर्पण को तत्काल अपडेट करवावें।
- 7 सम्बन्धित कार्मिक
- 8 अनुभाग अधिकारी संस्था-ओएससी/एबी/वरिष्ठता/एसीआर
- 9 निजी/रक्षित पत्रावली

  
संयुक्त निदेशक(कार्मिक)  
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान  
बीकानेर